



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 28.08.2023

थाना कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 10 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त किये गिरफ्तार:-

दिनांक 28.08.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 10 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. पवन कुमार पुत्र ताराचन्द निवासी मौहल्ला दिनतला थाना बडौत जनपद बागपत।
2. अमित पुत्र राजवीर निवासी मौहल्ला दिनतला थाना बडौत जनपद बागपत।
3. सूरजू पुत्र चरना निवासी ग्राम डांगरौल थाना कांधला जनपद शामली।
4. जसवीर पुत्र कर्मसिंह निवासी ग्राम गढीश्याम थाना कांधला जनपद शामली।
5. सुक्कु उर्फ राजेन्द्र पुत्र कर्मसिंह निवासी ग्राम गढीश्याम थाना कांधला जनपद शामली।
6. जीशान पुत्र शौखत निवासी ग्राम गढीदौलत थाना कांधला जनपद शामली।
7. लौकीन पुत्र बदरुद्दीन निवासी ग्राम गढीदौलत थाना कांधला जनपद शामली।
8. शौकिन पुत्र बदरुद्दीन निवासी ग्राम गढीदौलत थाना काँधला जनपद शामली।
9. शौकत पुत्र नूरदीन निवासी मौहल्ला माजरा खाकरोवान हरिजनो के सामने सलारा जोहरी मंत्री जी वाली कालोनी कांधला बाईपास थाना कांधला जनपद शामली।
10. राशिद खान पुत्र सद्दीक निवासी मौहल्ला जाट कालोनी थाना कांधला जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 0 7 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त किये गिरफ्तार ।

दिनांक 2 7/28.08.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 0 7 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.- कृष्ण उर्फ कृष्णपाल पुत्र जहाना निवासी पीरखेडा थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 2.- जगत सिंह पुत्र बाबूराम निवासी बिरालियान थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 3 - सतीश पुत्र गोधू निवासी बीबीपुर जलालाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 4 - सुनील पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी बीबीपुर जलालाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 5 - तौफीक उर्फ बोबी पुत्र जमीर खां निवासी मौहल्ला अफगानान कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 6 - सुभा पुत्र मामचन्द निवासी गंगारामपुर खेडकी थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 7- प्रमोद पुत्र सुभा निवासी गंगारामपुर खेडकी थाना झिंझाना जनपद शामली ।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध छुरा बरामद ।

आज दिनांक 28.08.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे अवैध शराब/अवैध हथियार की बरामदगी/निर्माण/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर 01 अभियुक्त को 01 अदद अवैध छुरा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता:-

1.फाजिल पुत्र अलीशेर नि वासी ग्राम खेडापट्टी सुजडू थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी मौहल्ला खेलकला थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.एक अवैध छुरा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

1.मु0अ0सं0 0514/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

2.मु0अ0सं0 0447/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्ध शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में महामारी अधिनियम के मामले में 09 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा:-

वर्ष 2022 में थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. चन्द्रवीर पुत्र महावीर 2. रविन्द्र पुत्र मांगा 3. बालेन्द्र पुत्र अनंगपाल 4. उपेन्द्र पुत्र भोपाल 5. हिन्दपाल उर्फ संजू पुत्र धर्मवीर 6. मांगेराम पुत्र चौहल 7. नसीम पुत्र इब्राहिम 8. दिलदार पुत्र सगीर 9. रविन्द्र पुत्र लक्ष्मण निवासीगण ग्राम हाथी करौंदा थाना बाबरी जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 30/2022 धारा 269/270 भादवि व 03 महामारी अधिनियम व 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था । उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा नियमित प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 28.08.2023 को माननीय न्यायालय MP/MLA/CJSD/ACJM शामली द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को धारा 269 भादवि में 500/- रुपये का अर्थदण्ड व धारा 270 भादवि में 500/- रुपये का अर्थदण्ड व धारा 03 महामारी अधिनियम में 1000/- रुपये का अर्थदण्ड व धारा 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 500/- रुपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1. चन्द्रवीर पुत्र महावीर निवासी ग्राम हाथी करौंदा थाना बाबरी जनपद शामली ।
2. रविन्द्र पुत्र मांगा निवासी ग्राम हाथी करौंदा थाना बाबरी जनपद शामली ।
3. बालेन्द्र पुत्र अनंगपाल निवासी ग्राम हाथी करौंदा थाना बाबरी जनपद शामली ।
4. उपेन्द्र पुत्र भोपाल निवासी ग्राम हाथी करौंदा थाना बाबरी जनपद शामली ।
5. हिन्दपाल उर्फ संजू पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम हाथी करौंदा थाना बाबरी जनपद शामली ।
6. मांगेराम पुत्र चौहल निवासी ग्राम हाथी करौंदा थाना बाबरी जनपद शामली ।
7. नसीम पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम हाथी करौंदा थाना बाबरी जनपद शामली ।
8. दिलदार पुत्र सगीर निवासी ग्राम हाथी करौंदा थाना बाबरी जनपद शामली ।
9. रविन्द्र पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम हाथी करौंदा थाना बाबरी जनपद शामली ।

[SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI](#)